

कार्यालय अध्यक्ष, वाणिज्य कर अधिकरण, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
आदेशांक-वा0क0अधि0/यु0पीठ संशो0/054 /2025, लखनऊ दिनांक-फरवरी 25 .2025

संशोधित आदेश

न्यायिक सदस्य, वाणिज्य कर अधिकरण, पीठ अलीगढ़ ने अपने पत्र संख्या 57/2025 दिनांकित 20.02.2025 द्वारा माह मार्च 2025 में दिनांक 03.03.2025 से 07.03.2025 तक दिल्ली के निकट जनपद नोएडा / गाजियाबाद की युगल पीठ में नामित किए जाने का अनुरोध किया गया है।

न्यायिक सदस्य, वाणिज्य कर अधिकरण, पीठ अलीगढ़ के उक्त पत्र के अनुक्रम में, मुख्यालय द्वारा निर्गत आदेश सं0 179/2025 दिनांक 31.01.2025 द्वारा नोएडा में दिनांक 03.03.2025 से 07.03.2025 तक युगल पीठ में सदस्य, वाणिज्य कर अधिकरण पीठ प्रथम नोएडा के स्थान पर सदस्य, वाणिज्य कर अधिकरण, पीठ अलीगढ़ को नामित किया जाता है। शेष स्थिति यथावत बनी रहेगी।

तदनुसार सम्बन्धित कार्यालय/अधिकारियों को सूचित किया जाये।

ह/-25.02.2025

(प्रतिमा श्रीवास्तव)

एच0जे0एस0

अध्यक्ष, वाणिज्य कर अधिकरण,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पृष्ठांकन संख्या व दिनांक ::यथोक्त।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- सदस्य, वाणिज्य कर अधिकरण, पीठ- अलीगढ़, नोएडा पीठ प्रथम व द्वितीय।
- 2- मुन्सरिम/पेशकार/वरिष्ठ सहायक (यात्राभत्ता)/विवरण/कम्प्यूटर/वेब अधिकारी मुख्यालय।
- 3- संबंधित अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष/सचिव द्वारा पीठासीन अधिकारी।

आज्ञा से,



निबन्धक,

वाणिज्य कर अधिकरण,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कार्यालय अध्यक्ष, वाणिज्य कर अधिकरण, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
आदेशांक-वा0क0अधि0/यु0पीठ संशो0/355 /2025, लखनऊ दिनांक-फरवरी 25 .2025

संशोधित आदेश

अपरिहार्य परिस्थितियों में जनपद कानपुर में दिनांक 17.03.2025 से 21.03.2025 तक गठित युगल पीठ निरस्त की जाती है तथा उसके स्थान पर दिनांक 10.03.2025 से 12.03.2025 तक न्यायिक सदस्य, वाणिज्य कर अधिकरण, पीठ-1, प्रयागराज व सदस्य, वाणिज्य कर अधिकरण, पीठ-4, कानपुर की युगल पीठ गठित की जाती है।

शेष स्थिति यथावत बनी रहेगी।

तदनुसार सम्बन्धित कार्यालय/अधिकारियों को सूचित किया जाये।

ह/-25.02.2025

(प्रतिमा श्रीवास्तव)

एच0जे0एस0

अध्यक्ष, वाणिज्य कर अधिकरण,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पृष्ठांकन संख्या व दिनांक ::यथोक्त।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- सदस्य, वाणिज्य कर अधिकरण, पीठ- 1, 2, 3 व 4 कानपुर एवं पीठ -1 प्रयागराज।
- 2- मुन्सरिम/पेशकार/वरिष्ठ सहायक (यात्राभत्ता)/विवरण/कम्प्यूटर/वेब अधिकारी मुख्यालय।
- 3- संबंधित अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष/सचिव द्वारा पीठासीन अधिकारी।

आज्ञा से,



निबन्धक,

वाणिज्य कर अधिकरण,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कार्यालय अध्यक्ष, वाणिज्य कर अधिकरण, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
आदेशांक-वा0क0अधि0/यु0पीठ संशो0/355 /2025, लखनऊ दिनांक-फरवरी 25 .2025

संशोधित आदेश

अपरिहार्य परिस्थितियों में जनपद अलीगढ़ में दिनांक 17.03.2025 से 19.03.2025 तक गठित युगल पीठ में सदस्य, वाणिज्य कर अधिकरण, पीठ-2, कानपुर के स्थान पर सदस्य, वाणिज्य कर अधिकरण, पीठ-2, मेरठ को युगल पीठ के वादों के निस्तारण हेतु नामित किया जाता है।

शेष स्थिति यथावत बनी रहेगी।

तदनुसार सम्बन्धित कार्यालय/अधिकारियों को सूचित किया जाये।

ह/-25.02.2025

(प्रतिमा श्रीवास्तव)

एच0जे0एस0

अध्यक्ष, वाणिज्य कर अधिकरण,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पृष्ठांकन संख्या व दिनांक ::यथोक्त।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- सदस्य, वाणिज्य कर अधिकरण, पीठ- अलीगढ़, पीठ-2 कानपुर एवं पीठ-2 मेरठ।
- 2- मुन्सरिम/पेशकार/वरिष्ठ सहायक (यात्राभत्ता)/विवरण/कम्प्यूटर/वेब अधिकारी मुख्यालय।
- 3- संबंधित अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष/सचिव द्वारा पीठासीन अधिकारी।

आज्ञा से,

निबन्धक,

वाणिज्य कर अधिकरण,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।